न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/138

1. शोल्या पुत्र असरा जाति बंजारा निवासी तीन टापरी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
2. बहादुर पुत्र शोल्या जाति बंजारा निवासी तीन टापरी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
3. जीया पुत्र शोल्या जाति बंजारा निवासी तीन टापरी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
4. तौफान पुत्र शोल्या जाति बंजारा निवासी तीन टापरी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
5. बच्चन पुत्र शोल्या जाति बंजारा निवासी तीन टापरी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
6. शैतान पुत्र शोल्या जाति बंजारा निवासी तीन टापरी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।

———अपीलान्ट

बनाम

रामकरण आत्मज देवा जी जाति बैरवा निवासी बंजारन कलमण्डीकला तहसील झालरापाटन जिला झालावाड हाल निवासी तीन टापरी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बी0 सी0 मालवीय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री अंसार अहमद, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 06.10.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.04.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सुरेडा तहसील रामगंजमण्डी में वादी के खाते एवं कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 115 रकबा 06 बीघा 03 बि स्वा में से 8/9 हिस्सा वादी का है जिस पर वह काश्त करता चला आ रहा है । वादी अपने कब्जे व खातेदारी की भूमि पर तरमीम करवा कर उक्त भूमि के चारों तरफ बाउन्ड्री करवाना चाहता है जिसमें प्रतिवादी अनावश्यक दखलन्दाजी कर रहा है और लडाई झगडा करने पर आमादा रहता है जिसका उसे कोई विधिक अधिकार नहीं है ।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे तथा वादी को उक्त भूमि से बेदखल करने का प्रयास नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादी करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि आदि से करावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एंव डिकी दिनांक 20.04.2015 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादी का जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश पारित कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिकी दिनांक 20.04.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में बेनाम ट्रांजेक्शन के आधार पर किया गया विकय प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य होने के कारण वादी रेस्पोडेन्ट को वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था । वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सेवा उर्फ शोल्या द्वारा तत्कालीन खातेदारान रामचन्द्र, देवा व बिहारी से दिनांक 14.07.2009 से कय कर ली गई थी तथा कय के बाद अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । वादी रेस्पोडेन्ट का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है और न ही वर्तमान में उसका कब्जा है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिकी पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिकी दिनांक 20.04.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र से दिनांक 14.07.2009 को कय की थी और उक्त बेचान वैध है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर उक्त निर्णय एवं डिकी पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया है जिससे उसे बेदखल कर कब्जा वादी रेस्पोडेन्ट को दिलाया जावे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 20.04.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादी रेस्पोडेन्ट ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र से दिनांक 14.07.2009 को कय की है और वह उक्त भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अपने अपील मीमो में कहे गये कथनों को साबित नहीं किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिकी पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है ।

दिनांक

हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.04.2015 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 06.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

...ल संख्या : 15/138

1. शोल्या पुत्र असरा जाति बंजारा निवासी तीन टापरी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
2. बहादुर पुत्र शोल्या जाति बंजारा निवासी तीन टापरी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
3. जीया पुत्र शोल्या जाति बंजारा निवासी तीन टापरी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
4. तौफान पुत्र शोल्या जाति बंजारा निवासी तीन टापरी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
5. बच्चन पुत्र शोल्या जाति बंजारा निवासी तीन टापरी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
6. शैतान पुत्र शोल्या जाति बंजारा निवासी तीन टापरी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।

—अपीलार्थी

बनाम

रामकरण आत्मज देवा जी जाति बैरवा निवासी बंजारन कलमण्डीकला तहसील झालरापाटन जिला झालावाड हाल निवासी तीन टापरी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश एवं डिक्री दिनांक 20.04.2015 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

...र्गत वाद संख्याः 46/दावा/2010

रामकरण आत्मज देवा जी जाति बैरवा निवासी बंजारन कलमण्डीकला तहसील झालरापाटन जिला झालावाड हाल निवासी तीन टापरी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——वादी

हस्ताक्षर पक्षकार .... स्थान....कोटा.......... दिनांक...7/5/2015.......

नाम व पता...मौली सिंह ... बहादुर सिंह ...

बनाम

1. शोल्या पुत्र असरा जाति बंजारा निवासी तीन टापरी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
2. बहादुर पुत्र शोल्या जाति बंजारा निवासी तीन टापरी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
3. जीया पुत्र शोल्या जाति बंजारा निवासी तीन टापरी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
4. तौफान पुत्र शोल्या जाति बंजारा निवासी तीन टापरी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
5. बच्चन पुत्र शोल्या जाति बंजारा निवासी तीन टापरी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
6. शैतान पुत्र शोल्या जाति बंजारा निवासी तीन टापरी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला, कोटा .के निर्णय एवं डिकी दिनांक 20.04.2015 .की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ं निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण ोने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

ह अपील तारीख 06.10.2017 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री बी0 सी0 ालवीय एवं प्रत्यर्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री अंसार अहमद उपस्थित आने पर यह ादेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय ं डिकी दिनांक 20.04.2015 बहाल रखा जाता है ।

न अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं।

डिकी आज तारीख 06.10.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हस्ताक्षर पक्षकार ....

नाम व पता..........